



## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-679/ 2725  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 30/10/2019

अपर मुख्य सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन  
नवा रायपुर, अटल नगर

- विषय:** - Diversion of 8.543 ha. forest land in favour of Chhattisgarh Road Development Corporation (CRDC for Upgradation and Widening to 2- lane of Chhuriya-Kallubanjari Road upto Maharashtra Border in Rajnandgaon District in the State of Chhattisgarh - reg.
- संदर्भ:-**
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के पत्र क्रमांक FC-II/ CH-85/ 2018- NGP/ 4468 दिनांक 15.06.2018
  2. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-19/ 2018/ 10-2 दिनांक 06.11.2018 एवं स्मरण पत्र दिनांक 05.02.2019
  3. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/तक.अधि./1173 दिनांक 13.02.2019 एवं पत्र क्रमांक/4982 दिनांक 08.07.2019 (टी.एल.)

× × × × ×

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र - 1 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा उक्त प्रकरण में 12 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

संदर्भित पत्र - 2 के माध्यम से उक्त जानकारी मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त द्वारा बिन्दुवार प्रेषित की गई है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	अधिरोपित शर्तें	पालन प्रतिवेदन
1.	Part-I and Part-II has been submitted without mentioning date of submission, further, part-II and III does not have name of signing authority.	पार्ट I एवं पार्ट II में अधिकारी का नाम एवं दिनांक अंकित किया गया है। (संलग्न-1)
2.	Specific recommendation of the DFO with part-II has not been uploaded in online portal.	आनलाईन पार्ट II वनमंडलाधिकारी की अनुशंसा अपलोड की गई है। (संलग्न-2)
3.	Certificate, from the DCF concerned, regarding location of the project outside the PAs and whether the area is located within with in a distance of 10 km from the boundary of PAs has not been submitted.	10 किमी की परिधि में कोई भी अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्न-3)।
4.	Certificate regarding barest minimum requirement of the Forest land for the proposal has be submitted by user Agency and same need to be submitted by DCF concerned.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता हेतु आवेदक संस्थान एवं वनमंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्न-4)।
5.	Examination of proposed alignment in Google satellite imaginary revealed that a considerable forest land might be avoided by shifting present alignment towards western direction in compartment no. p647 and p-643. Accordingly, State Government may explore the possibility of shifting present alignment towards western side in	पूर्व से निर्मित मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयन कार्य आवेदक संस्थान द्वारा किया जाना है। उक्त मार्ग कक्ष क्रमांक पी - 647 एवं पी 643 से होकर गुजरता है। अतः ऐसी स्थिति में अन्य क्षेत्रों को चयन करने से संबंधित आवेदक संस्थान द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया है



क्रं.	अधिरूपित शर्तें	पालन प्रतिवेदन
	compartment no. p-647 and p-643 to a void forest land.	(संलग्न-5)।
6.	Examination of compliance of Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 revealed resolution / proceedings with respect to Damabanjari Gram Sabha has not been submitted. State Government may ensure the complete compliance of FRA, 2006 in accordance to MOEF&CC advisory issued vide letter dated 5 <sup>th</sup> July, 2013.	ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर ही आवेदक संस्थान द्वारा 'प्रदर्श अ, ब एवं स' प्राप्त कर प्रदर्श - स को ऑन लाईन पोर्टल पर अपलोड की कार्यवाही कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा किया गया है (संलग्न-6)।
7.	DGPS map of land proposed for diversion is submitted in very small scale and same need to be submitted in larger scale.	निर्देशानुसार वांछित मानचित्र संलग्न कर प्रेषित है (संलग्न-7)।
8.	Index Map/sol Toposheet on 1:50000 scale dully imposing land proposed for diversion has not been submitted.	निर्देशानुसार वांछित मानचित्र संलग्न कर प्रेषित है (संलग्न-8)।
9.	Instant proposal is for widening and up gradation of existing road; accordingly details of any new alignments /bye-passes in forest area may be submitted by the state Government.	प्रस्तावित क्षेत्र के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य प्रस्तावित नहीं है। आवेदक संस्थान एवं वनमंडलाधिकारी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्न-9)।
10.	Area calculation statement, in tabular form, indicating the forest patch wise length and breadth along with the detail of area left on both left and side of the bifurcated forest patch may be submitted by the state Government. Further, details of area of forest patches being bifurcated from the proposed rehabilitation /upgradaion work or re-alignment, if any, may also be submitted by the State Government.	आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्न-10)।
11.	Details of employment potential in terms of man days skilled, semiskilled and unskilled persons on permanent(direct and indirect) basis have not been provided.	आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्न-11)।
12.	An undertaking may be obtained from the user Agency, in accordance with the MOEF&CC's Guidelines dated 7.01.2013	आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्न-12)।

उपरोक्त जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। अतः प्रकरण में प्रथम चरण की स्वीकृति जारी कराने का अनुरोध है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार (२३.पृष्ठीय)

प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115- 679/ २७२८

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव।
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लि., तीसरी मंजिल, सिरपुर भवन, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)

छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक ३०/१०/२०१९

अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व.सं.अ)

छत्तीसगढ़